निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 28 **पटना, बुधवार,** **19** आषाढ़ **1946 (श0)**

10 जुलाई **2024 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-20**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**21-21**
पूरक	---
पूरक-क	**22-29**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

27 जून 2024

सं0 स्टे0/झा0/वि0–61/2006 भाग–2–5239––राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत् पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत् अतिरिक्त सलाहकार के रूप में प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, अपर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

4 जून 2024

सं0 1/अ0–1006/2022–सा0प्र0–8771––श्री कौशल किशोर, भा0प्र0से0 (बी एच:2010), निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस), पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम– 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 10.06.2024 से 21.06.2024 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री किशोर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (समाज कल्याण विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

4 जून 2024

सं0 1/अ0–1022/2016–सा0प्र0–8772––श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (बी एच:2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम– 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 07.06.2024 से 17.06.2024 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शुभंकर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

4 जून 2024

सं0 1/एल0–65/2000–सा0प्र0–8773––श्री नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0 (बी एच:1998), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08–09 जून, 2024 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में एवं 22–23 जून, 2024 के साप्ताहिक अवकाश का पश्च् लग्न के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.06.2024 से 21.06.2024 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री लाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

5 जून 2024

सं0 1/अ0–1017/2013–सा0प्र0–8873––श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0 (बी एचः2011), विशेष सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 10.06.2024 से 21.06.2024 तक कुल 12(बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री घोष की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

5 जून 2024

सं0 1/अ0–1002/2016–सा0प्र0–8874––श्री आनंद शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एचः2013), अपर सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम– 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.06.2024 से 21.06.2024 तक कुल 14(चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शर्मा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

5 जून 2024

सं0 1/एल0–29/2003(खंड)–सा0प्र0–8876––विभागीय अधिसूचना संख्या–1/एल0–29/ 2003(खंड)–सा0प्र0–5709 दिनांक 05.04.2024 द्वारा श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0(बी एचः1993), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार–बियाडा, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार–आइडा, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 06.05.2024 से 24.05.2024 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी एक्स–इंडिया लीव के रूप में प्रदत्त है।

2. श्री पौण्डरीक से प्राप्त आवेदन के आलोक में आलोच्य एक्स–इंडिया लीव को दिनांक 27.05.2024 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

5 जून 2024

सं0 1/अ0–1003/2013–सा0प्र0–**8883**––श्री राजीव रौशन,भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम –10,11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर नीदरलैण्ड एवं चेक गणराज्य की निजी विदेश यात्राा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–1/अ0–1003/2013 –सा0प्र0–8247 दिनांक 25.05.2024 के माध्यम से दिनांक 03.07.2024 से 13.07.2024 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स–इंडिया लीव के रुप में संसूचित है।

2. श्री रौशन की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री कुमार गौरव, भा0प्र0से0 (2017), नगर आयुक्त, दरभंगा रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

11 जून 2024

सं0 1/अ0–07/2011–सा0प्र0–9190––श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (बी एचः 2010), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08 एवं 09 जून, 2024 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) तथा दिनांक 15,16 एवं 17 जून, 2024 के साप्ताहिक/राजपत्रित अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.06.2024 से 14.06.2024 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती पाटिल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए प्रभार की व्यवस्था विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

11 जून 2024

सं0 1/अ0–1009/2020–सा0प्र0–9198––श्री दीपक कुमार मिश्रा, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 07.06.2024 से 12.06.2024 तक कुल 06 (छह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री मिश्रा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री चन्द्रशेखर आजाद, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, नवादा रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

12 जून 2024

सं0 1/अ0प्र0–1001/2022–सा0प्र0–9232––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/अ0प्र0–1001/2022–सा0प्र0–8646 दिनांक 31.05.2024 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 18.06.2024 से 13.07.2024 तक भा0प्र0से0 पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–IV में भाग लेने हेतु प्रदत्त अनुमति के आलोक में उक्त अनुमति से सम्बद्ध पदाधिकारियों के स्तर से धारित पद/प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् की जाती हैः–

क्र.	प्रशिक्षण के नामित पदाधिकारी का नाम एवं बैच	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद/प्रभार	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ–03 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3	4
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह (2006)	सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार–जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग)	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।
2	श्री गोपाल मीणा (2007)	आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
3	श्री जय सिंह (2007)	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।
4	श्री मनोज कुमार (2007)	सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।
5	श्री संजय कुमार सिंह (2007)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

13 जून 2024

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9358––श्री के0 के0 पाठक,भा0प्र0से0(1990), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री के0 के0 पाठक अगले आदेश तक महानिदेशक, बिपार्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9359––डॉ0 एस. सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(1991), मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्रीा सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9360––श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (1992), अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9361––श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (1995), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अरविन्द कुमार चौधरी अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

3. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2003) सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–सचिव, संसाधन, वित्त विभाग) अगले आदेश तक वित्त विभाग, बिहार, पटना के सम्पूर्ण अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9362––श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 (2002), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पंकज कुमार पाल अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (1993), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार–बियाडा, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार–आइडा, पटना) **प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार–बियाडा, पटना** के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9363––श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें भोजपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री राज कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9364––श्री आशुतोष कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (2010), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार –निदेशक, खेल, बिहार, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें नवादा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9365––श्री महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा (अतिरिक्त प्रभार– बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री महेन्द्र कुमार अगले आदेश तक निदेशक, खेल, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9366––श्री प्रशांत कुमार सी एच, भा0प्र0से0 (2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी एच अगले आदेश तक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना एवं मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

14 जून 2024

सं0 1/अ0–1018/2024–सा0प्र0–9433––श्री अभिषेक पलासिया, भा0प्र0से0 (बी एचः 2020), अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 29.06.2024 से 06.07.2024 तक कुल 08 (आठ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री पलासिया की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

14 जून 2024

सं0 1/पी0–1005/2024–सा0प्र0–9450––श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (1995) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2024 –सा0प्र0–9361 दिनांक 13.06.2024 द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किए जाने के फलस्वरूप, श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0(1991), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–9361 दिनांक 13.06.2024 की अन्य स्थितियां यथावत् रहेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

18 जून 2024

सं0 1/अ0–1018/2023–सा0प्र0–**9514**––श्री विजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम–12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.07.2024 से 22.07.2024 तक कुल 22 (बाईस) दिनों की चिकित्सा/रुपान्तरित छुट्टी (44 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि हेतु उनके द्वारा धारित पद (बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय) के लिए प्रभार की व्यवस्था जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

18 जून 2024

सं0 1/अ0–1016/2024–सा0प्र0–9527––मो0 सोहैल, भा0प्र0से0(2007), सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या–7962 दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 13.05.2024 से 16.05.2024 तक कुल 04 (चार) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. मो0 सोहैल द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में 04 दिनों की आलोच्य उपार्जित छुट्टी की निरन्तरता में उक्त छुट्टी 09.06.2024 तक कुल 28 (अट्ठाईस–13.05.2024 से 09.06.2024 तक) दिनों के लिए विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

18 जून 2024

सं0 1/अ0–1014/2015–सा0प्र0–**9528**––श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एचः 2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या–13516 दिनांक 17.07.2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम–18 (1) के तहत दिनांक 17.07.2023 से 12.01.2024 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. श्रीमती शैलजा शर्मा द्वारा स्वीकृत आलोच्य छुट्टी के मध्य में दिनांक 14.12.2023 को अपने दायित्व पर योगदान कर लिया गया ।

3. अतएव, संदर्भगत विभागीय अधिसूचना दिनांक 17.07.2023 द्वारा श्रीमती शैलजा शर्मा के पक्ष में स्वीकृत 180 दिनों की आलोच्य छुट्टी को कुल 150 दिनों (दिनांक 17.07.2023 से 13.12.2023 तक) के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

---

19 जून 2024

सं0 1/अ0–21/2009–सा0प्र0–9586––श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (बी एचः2007), सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–अपर महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड),पटना/निबंधन महानिरीक्षक–सह–उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08–09 जून,2024 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में एवं दिनांक 22–23 जून,2024 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाश का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.06.2024 से 21.06.2024 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री गुंजियाल की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के प्रभार हेतु संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

19 जून 2024

सं0 1/पी–1001/2024–सा0प्र0–9601––श्री के0 के0 पाठक, भा0प्र0से0 (1990), तदेन अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग (सम्प्रति उपार्जित छुट्टी पर) विभागीय अधिसूचना संख्या–**9358** दिनांक 13.06.2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के रूप में अधिसूचित हैं।

2. श्री पाठक की आलोच्य उपार्जित छुट्टी तक अथवा अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0(1992), अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

20 जून 2024

सं0 1/अ0–1013/2017–सा0प्र0–9636––श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम, को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 24.06.2024 से 03.07.2024 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, रोहतास, सासाराम रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

25 जून 2024

सं0 1/पी–1003/2024–सा0प्र0–9886––श्री चंद्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2010), विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी–सह–राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन–सह–आयुक्त–स्व–रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें पटना जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चंद्रशेखर सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1003/2024–सा0प्र0–9887––श्री हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0(2011), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी–सह– राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन–सह–आयुक्त–स्व –रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1003/2024–सा0प्र0–9888––श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना (अतिरिक्त प्रभार बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शीर्षत कपिल अशोक अगले आदेश तक विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1003/2024–सा0प्र0–9889––श्री निलेश रामचंद्र देवरे, भा0प्र0से0(2011) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री निलेश रामचंद्र देवरे अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी–1003/2024–सा0प्र0–9890––श्री आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0(2014), प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार–बिहार राज्य संचरण कम्पनी लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1003/2024–सा0प्र0–9891––श्री लक्ष्मण तिवारी, भा0प्र0से0(2021), (छत्तीसगढ़ राज्य से संवर्ग स्थानांतरण के उपरांत बिहार राज्य में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

26 जून 2024

सं0 1/एल0–07/2002–सा0प्र0–9972––श्री के0 के0 पाठक, भा0प्र0से0 (बी एचः 1990), तदेन अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या–1/एल0–07/2022–सा0प्र0–8647 दिनांक 02.06.2024 द्वारा दिनांक 03.06.2024 से 30.06.2024 तक के लिए कुल 28 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदत्त है।

2. श्री के0 के0 पाठक से प्राप्त आवेदन के आलोक में संदर्भित उपार्जित छुट्टी को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–12, 13 एवं 20 के तहत 28 दिनों की रूपांतरित छुट्टी (56 दिनों के अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) के रूप में परिमार्जित किया जाता है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–1/एल0–07/2022–सा0प्र0–8647 दिनांक 02.06.2024 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

26 जून 2024

सं0 1/अ0–1007/2015–सा0प्र0–9973––श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0(2013), निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 21.05.2024 से 14.06.2024 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

27 जून 2024

सं0 1/अ0–13/2012–सा0प्र0–10034––श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0(बी एचः2010), विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 15–17 जून, 2024 के साप्ताहिक/राजपत्रित अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में एवं दिनांक 06–07 जुलाई,2024 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 18.06.2024 से 05.07.2024 तक कुल 18 (आठरह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कंवल तनुज की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

27 जून 2024

सं0 1/अ0–1014/2015–सा0प्र0–10035––श्रीमती शैलजा शर्मा, भा.प्र.से. (बी एचः2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5,10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 01–02 जून, 2024 को साप्ताहिक अवकाशों का पश्च् लग्न के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 20.05.2024 से 31.05.2024 तक कुल 12(बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

27 जून 2024

सं0 1/अ0–1022/2016–सा0प्र0–10036––श्री शशांक शुभंकर, भा.प्र.से.(2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ को विभागीय अधिसूचना संख्या–1/अ0–1022/2016–सा0प्र0–8772 दिनांक 04.06.2024 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 07.06.2024 से 17.06.2024 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की स्वीकृत उपार्जित छुट्टी को उनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक 09.06.2024 से 17.06.2024 तक कुल–09 (नौ) दिनों तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

———

27 जून 2024

सं0 1/अ0–1019/2024–सा0प्र0–10053––श्री पुरूषोत्तम पासवान, भा.प्र.से. (बी एचः2011), सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 15.06.2024 से 24.06.2024 तक कुल 10(दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री पुरूषोत्तम पासवान की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार हेतु संबंधित प्राधिकार (बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार) द्वारा की गई आंतरिक व्यवस्था मान्य होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना
27 जून 2024

सं0 अ०सं०क० 3 (ब०)–09–01/2015–220––बिहार अल्पसंख्यक आयोग (संशोधित) अधिनियम 2024 की कंडिका–19 (i) के तहत आयोग के विघटन के उपरान्त विभाग द्वारा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित किया जाता है। समिति बिहार जाति आधारित गणना 2022–23 में एकत्रित एवं विश्लेषित आँकड़ों का अध्ययन कर अल्पसंख्यकों की पहचान करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी। उक्त प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग हेतु धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को भी नामित किया जाता है।

विशेषज्ञ समिति–

क्र०स०	नाम एवं व्यक्तिगत विवरण	पदनाम	मोबाईल नं०–
1	श्री अरशद अजीज,सेवानिवृत, भा०प्र०से०	सदस्य	
2	श्री कैसर सुल्तान, सेवानिवृत भा०प्र०से०	सदस्य	
3	श्री अखलाक अहमद, सेवानिवृत बि०प्र०से०	सदस्य	
4	श्री नौशाद अहमद, सेवानिवृत, बि०प्र०से०	सदस्य	
5	श्री हाशिम खाँ, सेवानिवृत, बि०प्र०से०	सदस्य	
6	श्री फादर जोस, डायरेक्टर, बिहार दलित विकास समिति, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना	सदस्य	
7	श्री सरदार त्रिलोचन सिंह, राजेन्द्र पथ, पटना	सदस्य	
8	डॉ० कैप्टन दिलिप कुमार सिंन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग	सदस्य	

1. श्री दीवान जाफर हुसैन खाँ (बि०प्र०से०) ––––– सचिव।

2. समिति गठन के एक माह के अन्दर समिति बिहार जाति आधारित गणना 2022–23 में एकत्रित एवं विश्लेषित आँकड़ों का अध्ययन कर अल्पसंख्यकों की पहचान करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी।

3. विशेषज्ञ समिति के सदस्यों/अल्पसंख्यक समुदाय एवं भाषायी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधियों को बैठने की व्यवस्था/आवश्यक सामग्री बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

4. सदस्यों को कार्यालय आने–जाने हेतु वाहन की सुविधा सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. समिति के सदस्यों एवं धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक के प्रतिनिधियों के सदस्यों को पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात अलग से संसूचित की जाएगी।

6. समिति गठन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी और 30वें दिन स्वतः विघटित समझी जायेगी।

7. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा० अमीर आफाक अहमद फैजी, अपर सचिव–सह–निदेशक।

Home Department
(Police Branch)

NOTIFICATION
The 3rd July 2024

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)–7305––Consequent upon repeal of the Bihar Control of Crimes Act, 1981 and enactment of new the "Bihar Control of Crime Act, 2024", it is expedient

to amend the notification memo no.-2338 dated-23.02.2024 whereby Advisory Board has been constituted.

In Notification memo no. 2338 dated-23.02.2024, the nomenclature of the old Act i.e. the Bihar Control of Crimes Act, 1981 is deemed to be substitiuted by nomenclature of New the Bihar Control Crimes Act, 2024.

The rest Content of the aforesaid notification shall remain the same.

Now, therefore, the Advisory Board is as follow-

1. **Bihar Control of Crimes Act, 2024**
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

2. Constitution of the Advisory Board will be the same as mentioned in the notification memo no.-2338 dated-23.02.2024 i.e. :-

Hon'ble Mr. Justice **Ashutosh Kumar**	**Chairman**
Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retired)	**Member**
Hon'ble Mr. Justice **Prabhat Kumar Jha** (Retired)	**Member**

By the order of the Governor of Bihar,
Prakash Ranjan, Deputy Secretary.

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

3 जून 2024

सं0 2स्था०-193/2022-1561/ वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-551(23), दिनांक-21.05.2024 के आलोक में श्री रेवती रमण सिंह, प्रधान आप्त सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 15.01.2024 से 05.02.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । अवकाश उपभोग करने के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-255 दिनों की रूपांतरित अवकाश शेष है।

आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

---

3 जून 2024

सं0 2स्था०-60/2015-1558/वि०स०।--श्रीमती पूनम सिन्हा, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर-12 में प्रतिमाह अंके-1,05,900/- रूपये वेतन पाती हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल०टी०सी० नियामवली, 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11.10.2017 की कांडिका-G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2022–25 में एल०टी०सी० सुविधा के तहत दिनांक-08.06.2024 से 17.06.2024 तक देश के अन्दर पटना से श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) एवं श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) से पटना वापसी की यात्रा के निमित्त दिनांक-10.06.2024 से 14.06.2024 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक-08.06.2024, 09.06.2024, 15.06.2024 से 17.06.2024 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही दिनांक-08.06.2024 से 17.06.2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

12 जून 2024

सं0 2स्था०-97/2023-1656/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-671(23), दिनांक-05.06.2024 के आलोक में श्री यानपति, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-06.05.2024 से 16.05.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-17.05.2024 से 19.05.2024 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-33 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

---

26 जून 2024

सं0 2स्था०-122/2019-1764/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-743(23), दिनांक-14.06.2024 के आलोक में श्री शंभु कुमार, वरीय प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-06.05.2024 से 14.06.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-15.06.2024 से 17.06.2024 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-260 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

---

26 जून 2024

सं0 2स्था०-135/2019-1769/वि०स०।--वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्राप्त पत्रांक-673(23), दिनांक-05.06.2024 के आलोक में श्री अभिनीत कुमार, प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-01.04.2024 से 15.04.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-16.04.2024 एवं 17.04.2024 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-60 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

---

28 जून 2024

सं0 2स्था०-91/2019-1811/वि०स०।--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्रांक-LR:140620241200347, LR No : 0174/2024-2025 के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-11.03.2024 से 15.03.2024 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-16.03.2024 एवं 17.03.2024 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-295 दिनों का अवकाश शेष है ।

आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

27 जून 2024

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–1–04/2020–2532––श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, सारण में निबंधित लगभग 100 दस्तावेजों के Random भौतिक जॉच में 56 दस्तावेजों में रुपये 1,28,02,514/–(एक करोड़ अठाईस लाख दो हजार पॉच सौ चौदह रुपये) की राजस्व क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदित किया गया है। श्री कुमार के द्वारा जिला अवर निबंधन कार्यालय, सारण के क्षेत्राधिकार में आने वाले मौजा की सम्पत्ति जो मुख्यालय से नजदीक होने के बावजूद वास्तविक श्रेणी से न्यून श्रेणी में जैसे– मुख्य सड़क व्यवसायिक/व्यवसायिक को आवासीय में तथा आवासीय को विकासशील में अथवा आवासीय शाखा सड़क श्रेणी तथा शहरी क्षेत्र के भूमि को ग्रामीण क्षेत्र के भूमि के दर पर निबंधित किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित है। श्री कुमार के द्वारा किये गये उक्त राजस्व क्षति, निबंधन अधिनियम, 1908, बिहार निबंधन नियमावली, 2008, बिहार स्टाम्प (लिखित का न्यून मूल्यांकन नी0) नियमावली, 1995, सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रावधानों के उल्लंघन आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1062 दिनांक–16.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. जॉच आयुक्त–सह–सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–184 दिनांक–13.12.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सभी आरोप को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् जॉच आयुक्त–सह–सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक–7125 दिनांक 26.12.2022 एवं 618 दिनांक–31.01.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–161 दिनांक–14.02.2023 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दोष मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव बयान अस्वीकार करते हुए जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (Xi) के अधीन ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–2117 दिनांक–24.04.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1396 दिनांक 12.07.2023 द्वारा दिनांक 05.07.2023 को आहूत आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया।

6. उक्त प्रस्तावित दंड के विरुद्ध श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण द्वारा आवेदन समर्पित कर सेवा से बर्खास्तगी की सजा काफी ज्यादा होने का उल्लेख करते हुए सजा के पुर्नरिक्षण हेतु मुख्य सचिव, पटना से अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव द्वारा मंतव्य सहित संचिका उपस्थापित करने का निदेष उक्त पत्र के उपांत में दिया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार को दिये गये दंड के संबंध में पुनः समीक्षा की गयी। दस्तावेज के निबंधन में राजस्व क्षति के मामले में भारतीय मुद्रांक अधिनियम–1899 की धारा–47'ए' के अन्तर्गत राजस्व वसूली का प्रावधान रहने तथा राजस्व क्षति के मामले में अधिकांष पदाधिकारियों को संचयात्मक प्रभाव से दंड अधिरोपित होने के पूर्वोक्त उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक एकरूपता के दृष्टिकोण से श्री कुमार के अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दु विचारण योग्य पाया गया तथा दंड को पुर्नरीक्षित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (Vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–555 दिनांक–01.02.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4907 दिनांक 01.03.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के मामले में, जिनमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी है और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्ष करना आवष्यक नहीं होगा। अतः श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (Vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
28 जून 2024

सं0 7/भा0ना0सु0सं0–20–01/2024गृ०आ०–7028––भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 37 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आदेश देती है कि,

1. राज्य पुलिस मुख्यालय और प्रत्येक पुलिस जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष होगा।
2. प्रत्येक पुलिस जिले में एक पदनामित पुलिस पदाधिकारी होगें, जो पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून कोटि के नहीं होंगे।
3. प्रत्येक पुलिस थाना पर एक पदनामित पुलिस पदाधिकारी होगा, जो सहायक पुलिस अवर निरीक्षक से अन्यून कोटि के नहीं होंगे।

4. क्रमांक संख्या 2 एवं 3 में उल्लेखित पदनामित पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे निम्नलिखित के बारे में जानकारी संधारण करेंगे,
   क. गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम एवं पता, और,
   ख. उस अपराध की प्रकृति, जिसके लिये गिरफ्तार व्यक्ति आरोपित है।
5. क्रमांक संख्या 2 एवं 3 में उल्लेखित पदनामित पुलिस पदाधिकारियों का पदस्थापन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
6. क्रमांक संख्या 2 और 3 में उल्लेखित पदनामित पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि क्रमांक संख्या 4(क) और 4(ख) में उल्लेखित विवरणों को जिला मुख्यालय और पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शित किया जाए, जिसमें डिजिटल माध्यम भी शामिल हो।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश रंजन, उप सचिव।

The 28th June 2024

No. 7/B.N.S.S.-20-01/2024/H.P.-7028––By exercising the powers given under Section 37 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the State Government hereby orders that,

1. There shall be a police control room at the State Police Headquarters and at every district.
2. At every district there shall be a designated police officer who shall not be below the rank of Sub-Inspector of police;
3. At every police station there shall be a designated police officer who shall not be below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police;
4. It shall be the responsibility of the designated police officers mentioned at column numbers 2 and 3 to maintain information about
   I. Names and addresses of the persons arrested, and
   II. Nature of the offence for which the arrested persons have been charged.
5. Designated police officers mentioned at column number 2 and 3 shall be posted by the District Superintendent of Police.
6. Further, the State Government directs that it shall be the responsibility of the designated officers mentioned at column number 2 & 3 to get the details mentioned at column 4(i) and 4(ii) displayed at the district headquarters and at police station respectively including in digital mode.

By order of the Governor of Bihar,
Prakash Ranjan, Under Secretary.

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

8 जुलाई 2024

सं0 नि0 वि0 स्था0–122/2006 (खण्ड)–3359––केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री जय प्रकाश मिश्रा को विभागीय अधिसूचना संख्या–2507 दिनांक 20.07.2021 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर तीन वर्षो के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था। तद्नुसार श्री मिश्रा

द्वारा दिनांक 23.07.2021 को पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या–3823 दिनांक 05.08.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया था।

2. उक्त के आलोक में श्री मिश्रा के कार्यो की समीक्षा की गई। विचारोपरान्त इनकी सेवा/कार्य संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप **श्री जय प्रकाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना की सेवा अवधि का दिनांक 23.07.2024 से अगले एक वर्ष के लिए विस्तार किया जाता है।**

3. नियोजन संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–2507 दिनांक 20.07.2021 की अन्य शर्त्तें यथावत् रहेगी।

4. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामा शंकर, संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना
4 जुलाई 2024

सं0 04/STA-(विविध)–04/2022, परि0–8782––मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–(3)(c-a)के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018, अधिसूचना संख्या–709, दिनांक–23.01.2019, अधिसूचना संख्या–8961, दिनांक–31.12.2020, अधिसूचना संख्या–860, दिनांक–08.02.2021, अधिसूचना संख्या–5281, दिनांक–25.08.2021, अधिसूचना संख्या–6447, दिनांक–11.10.2021, अधिसूचना संख्या–1274, दिनांक–24.02.2022, अधिसूचना संख्या–1459, दिनांक–02.03.2022, अधिसूचना संख्या–376, दिनांक–20.01.2023, अधिसूचना संख्या–413, दिनांक–23.01.2023, अधिसूचना संख्या–4547, दिनांक–14.06.2023, अधिसूचना संख्या–9376, दिनांक–18.12.2023 एवं अधिसूचना संख्या–580, दिनांक– 25.01.2024 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या–836, दिनांक–05.02.2018 की कंडिका–2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक–क(xiii) के रूप में कुल 47(सैंतालीस) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप सचिव।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68(3)(c-a) के तहत् चिन्हित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूचीः–

क्र0 सं0	मार्ग सं0	अप ट्रीप मार्ग का नाम	अप ट्रीप मार्ग का भाया	डाउन ट्रीप मार्ग का नाम	डाउन ट्रीप मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि0मी0)	अभियुक्ति
1	5476	जीरादेई से पटना	नरीनपुर, आन्दर, हुसैनगंज, सिवान, तरवारा, महराजगंज, जनता बाजार, दाढ़ीवारी, भीठी, मढ़ौरा, अमनौर, सोनहो, परसा, गोविन्दचक, हाजीपुर	पटना से जीरादेई	हाजीपुर, गोविन्दचक, परसा, सोनहो, अमनौर, मढ़ौरा, भीठी, दाढ़ीवारी, जनता बाजार, महराजगंज, तरवारा, सिवान, हुसैनगंज, आन्दर, नारीनपुर	179	आर0टी0ए0, सारण
2	5477	जीरादेई से पटना	सिवान, छपरा, गोविन्दचक, हाजीपुर	पटना से जिरादेई	हाजीपुर, गोविन्दचक, छपरा, सिवान	157	आर0टी0ए0, सारण
3	5478	मेहरौना बिहार बॉडर से पटना	गुठनी, मैरवा, सिवान, पचरूखी, दरौधा, महराजगंज, जनता बाजार, दाढ़ीवारी, भीठी, मढ़ौरा, अमनौर, सोनहो, परसा, गोविन्दचक, हाजीपुर	पटना से मेहरौना बिहार बॉडर	हाजीपुर, गोविन्दचक, परसा, सोनहो, अमनौर, मढ़ौरा, भीठी, दाढ़ीवारी, जनता बाजार, महराजगंज, दरौधा, पचरूखी, सिवान, मैरवा, गुठनी	218	आर0टी0ए0, सारण
4	5479	मेहरौना बिहार बॉडर से पटना	गुठनी, मैरवा, सिवान, एकमा, छपरा, दिधवाड़ा, गोविन्दचक, हाजीपुर	पटना से मेहरौना बिहार बॉडर	हाजीपुर, गोविन्दचक, दिधवाड़ा, छपरा, एकमा, सिवान, मैरवा, गुठनी	210	आर0टी0ए0, सारण

5	5480	सिवान से पटना	पंचरूखी, महराजगंज, जनता बाजार, बनियाँपुर, नागरा, शिवगंज, मढ़ौरा, अमनौर, सोनहो, परसा, सितलपुर, हाजीपुर	पटना से सिवान	हाजीपुर, सितलपुर, परसा, सोनहो, अमनौर, मढ़ौरा, शिवगंज, नागरा, बनियाँपुर, जनता बाजार, महराजगंज, पंचरूखी	154	आर0टी0ए0, सारण
6	5481	सिवान से पटना	एकमा, चेतन छपरा, जलालपुर, छपरा, गरखा, मानपुर, गोविन्दचक, हाजीपुर	पटना से सिवान	हाजीपुर, गोविन्दचक, मानपुर, गरखा, छपरा, जलालपुर, चेतन छपरा, एकमा	164	आर0टी0ए0, सारण
7	5482	छपरा से पटना	रेवा घाट, परसौना, दरिहारा, सोनपुर, हाजीपुर	पटना से छपरा	हाजीपुर, सोनपुर, दरिहारा, परसौना, रेवा घाट	106	आर0टी0ए0, सारण
8	5483	सिवान से पटना	एकमा, छपरा, रेवा घाट, परसौना, दरिहारा, सोनपुर, हाजीपुर	पटना से सिवान	हाजीपुर, सोनपुर, दरिहारा, परसौना, रेवा घाट, छपरा, एकमा	170	आर0टी0ए0, सारण
9	5484	सिवान से सीतामढ़ी	गुठनी, दरौली, रघुनाथपुर, ताजपुर, माझी, छपरा, भेल्दी, सोनहो, रेवा घाट, बखरा, सरैया, मुजफ्फरपुर, रूनिसौदपुर, डूमरा	सीतामढ़ी से सिवान	डूमरा, रूनिसौदपुर, मुजफ्फरपुर, सरैया, बखरा, रेवा घाट, सोनहो, भेल्दी, छपरा, माझी, ताजपुर, रघुनाथपुर, दरौली, गुठनी	298	आर0टी0ए0, सारण
10	5485	सिवान से दरभंगा	गुठनी, दरौली, रघुनाथपुर, ताजपुर, माझी, छपरा, भेल्दी, सोनहो, रेवा घाट, बखरा, सरैया, मुजफ्फरपुर	दरभंगा से सिवान	मुजफ्फरपुर, सरैया, बखरा, रेवा घाट, सोनहो, भेल्दी, छपरा, माझी, ताजपुर, रघुनाथपुर, दरौली, गुठनी	300	आर0टी0ए0, सारण
11	5486	कुचायकोट से सासाराम	गोपालगंज, मीरगंज, सिवान, मलमलिया, बनीयांपुर, छपरा, आरा	सासाराम से कुचायकोट	आरा, छपरा, बनीयंपुर, मलमलिया, सिवान, मीरगंज, गोपलगंज	180	आर0टी0ए0, सारण
12	5487	कुचायकोट से सासाराम	गोपालगंज, मीरगंज, सिवान, एकमा, छपरा, आरा	सासाराम से कुचायकोट	आरा, छपरा, एकमा, सिवान, मीरगंज, गोपालगंज	166	आर0टी0ए0, सारण
13	5488	गोपालगंज से आरा	मीरगंज, सिवान, मलमलिया, बनियांपुर, छपरा	आरा से गोलगंज	छपरा, बनियांपुर, मलमलिया, सिवान, मीरगंज	164	आर0टी0ए0, सारण
14	5489	सिवान से आरा	एकमा, छपरा, चिरांद	आरा से सिवान	चिरांद, छपरा, एकमा	115	आर0टी0ए0, सारण
15	5490	कुचायकोट से बक्सर	गोपालगंज, मीरगंज, सिवान, मलमलिया, मसरख, तरौया, मढ़ौरा, छपरा, चिरान्द, आरा	बक्सर से कुचायकोट	टारा, चिरान्द, छपरा, मढौरा, तरौया, मसरख, मलमलिया, सिवान, मीरगंज, गोपालगंज	278	आर0टी0ए0, सारण
16	5491	कुचायकोट से पटना	गोपालगंज, मीरगंज, सिवान, मलमलिया, छपरा, चिरान्द, आरा, कोईलवर, बिहटा, दानापुर	पटना से कुचायकोट	दानापुर, बिहटा, कोईलवर, आरा, चिरान्द, छपरा, मलमलिया, सिवान, मीरगंज, गोपालगंज	251	आर0टी0ए0, सारण
17	5492	गुठनी से पटना	सिवान, महाराजगंज, एकमा, मॉझी, छपरा, चिरान्द, आरा, कोईलवर, बिहटा, दानापुर	पटना से गुठनी	दानापुर, बिहटा, कोईलवर, आरा, चिरान्द, छपरा, माझी, एकमा, महाराजगंज, सिवान	246	आर0टी0ए0, सारण
18	5493	सिवान से रक्सौल	दरौधा, महराजगंज, एकमा, मॉझी, छपरा, मसरख, राजोपट्टी, महम्मदपुर, ढुमरीया घाट, अरेराज, मोतिहारी	रक्सौल से सिवान	मेतिहारी, अरेराज, ढुमरीया घाट, महम्मदपुर, राजोपट्टी, मसरख, छपरा, मॉझी, एकमा, महराजगंज, दरौधा	267	आर0टी0ए0, सारण

19	**5494**	गोपालगंज से पटना	मीरगंज, सिवान, मलमलिया, मसरख, मढौरा, अमनौर, सोनहो, रेवाघाट, परसौना, दरिहारा, सोनपुर, हाजीपुर	पटना से गोपालगंज	हाजीपुर, सोनपुर, दरिहारा, परसौना, रेवाघाट, सोनहो, अमनौर, मढौरा, मसरख, मलमलिया, सिवान, मीरगंज	205	आर0टी0ए0, सारण
20	**5495**	सिवान से घोड़ासहन	गुठनी, दरौली, रघुनाथपुर, ताजपुर, मॉझी, छपरा, मसरख, राजापट्टी, महम्मदपुर मोड, डुमरियाघाट, मोतिहारी, ढ़ाका	घोड़ासहन से सिवान	ढ़ाका, मोतिहारी, डुमरियाघाट, महम्मदपुर मोर, राजापट्टी, मसरख, छपरा, मॉझी, ताजपुर, रघुनाथपुर, दरौली, गुठनी	301	आर0टी0ए0, सारण
21	**5496**	सिवान से घोड़ासहन	गुठनी, दरौली, रघुनाथपुर, ताजपुर, मॉझी, छपरा, बनियांपुर, मलमलिया, महम्मदपुर मोड, डुमरियाघाट, मोतिहारी, ढ़ाका	घोड़ासहन से सिवान	ढ़ाका, मोतिहारी, डुमरियाघाट, महम्मदपुर मोर, मलमलिया, बनियांपुर, छपरा, मॉझी, ताजपुर, रघुनाथपुर, दरौली, गुठनी	298	आर0टी0ए0, सारण
22	**5497**	छपरा से बेतिया	मसरख, राजापट्टी, महम्मदपुर मोड़, गोपालगंज, यादवपुर, मंगलपुर, बसवरिया	बेतिया से छपरा	बसवरिया, मंगलपुर, यादवपुर, गोपालगंज, महम्मदपुर मोड़, राजापट्टी, मशरख	265	आर0टी0ए0, सारण
23	**5498**	छपरा से बेतिया	बनियापुर, मलमलिया, महम्मदपुर मोड़, गोपालगंज, यादवपुर, मंगलपुर, बसवरिया, बेतिया, चनपटिया	बेतिया से छपरा	चनपटिया, बेतिया, बसवरिया, मंगलपुर, यादवपुर, गोपालगंज, महम्मदपुर मोड़, मलमलिया, बनियापुर	278	आर0टी0ए0, सारण
24	**5499**	छपरा से नरकटियागंज	सिवान, बडहरिया, गोपालगंज, यादवपुर, मंगलपुर, बसवरिया, बेतिया, चनपटिया	नरकटियागंज से छपरा	चनपटिया, बेतिया, बसवरिया, मंगलपुर, यादवपुर, गोपालगंज, बडहरिया, सिवान	285	आर0टी0ए0, सारण
25	**5500**	रामगढ़ से पटना	मेंहदार, चैनपुर, हसनपुरा, सिवान, मलमलिया, मसरख, तरैया, मढ़ौरा, सोनहो, परसा, शीतलपुर, हाजीपुर	पटना से रामगढ़	हाजीपुर, शीतलपुर, परसा, सोनहो, मढ़ौरा, तरैया, मसरख, मलमलिया, सिवान, सहनपुरा, चैनपुर, मेंहदार	185	आर0टी0ए0, सारण
26	**5501**	गुठनी से मुजफ्फरपुर	दरौली, आन्दर, सिवान, मलमलिया, मसरख, राजापट्टी, बंगराघाट सेतु, साहेबगंज	मुजफ्फरपुर से गुठनी	सहेबगंज, बंगराघाट सेतु, राजापट्टी, मसरख, मसरख, मलमलिया, सिवान, आन्दर, दरौली	210	आर0टी0ए0, सारण
27	**5502**	सिवान से रक्सौल	दरौधा, महराजगंज, एकमा, मॉझी, छपरा, मसरख, राजापट्टी, महम्मदपुर, डुमरीया घाट, अरेराज, मोतिहारी	रक्सौल से सिवान	मेतिहारी, अरेराज, डुमरीया घाट, महम्मदपुर, राजापट्टी, मसरख, छपरा, मॉझी, एकमा, महराजगंज, दरौधा	268	आर0टी0ए0, सारण
28	**5503**	सिवान से रक्सौल	दरौधा, महराजगंज, एकमा, मॉझी, छपरा, बनियापुर, मलमलिया, महम्मदपुर, डुमरीया घाट, कोटवा, पिपराकोठी, मोतिहारी	रक्सौल से सिवान	मोतिहारी, पिपराकोठी, कोटवा, डुमरीया घाट, महम्मदपुर, मलमलिया, बनियापुर, छपरा, मॉझी, एकमा, महराजगंज, दरौधा	260	आर0टी0ए0, सारण
29	**5504**	सिवान से बेतिया	दरौधा, महराजगंज, एकमा, मॉझी, छपरा, बनियापुर, मलमलिया, महम्मदपुर, डुमरीया घाट, खजुरिया, अरेराज	बेतिया से सिवान	अरेराज, खजुरिया, डुमरीया घाट, महम्मदपुर, मलमलिया, बनियापुर, छपरा, मॉझी, एकमा, महराजगंज, दरौधा	225	आर0टी0ए0, सारण
30	**5505**	सिवान से नरकटियागंज	दरौधा, महराजगंज, एकमा, मॉझी, छपरा, मलमलिया, महम्मदपुर, डुमरीया घाट, मोतिहारी, बेतिया	नरकटियागंज से सिवान	बेतिया, मोतिहारी, डुमरीया घाट, महम्मदपुर, मलमलिया, बनियापुर, छपरा, मॉझी, एकमा, महराजगंज, दरौधा	292	आर0टी0ए0, सारण

31	5506	दरौली से पटना	गुठनी, मैरवा, सिवान, मलमलिया, मसरख, मढौरा, अमनौर, सोनहो, रेवाघाट, परसौना, दरिहारा, सोनपुर, हाजीपुर	पटना से दरौली	हाजीपुर, सोनपुर, दरिहारा, परसौना, रेवाघाट, सोनहो, अमनौर, मढौरा, मसरख, मलमलिया, सिवान, मैरवा, गुठनी,	216	आर0टी0ए0, सारण
32	5507	छपरा से रक्सौल	नगरा, मसरख, राजापट्टी, महम्मदपुर मोड़, ढुमरिया घाट, मोतिहारी	रक्सौल से छपरा	मेतिहारी, ढुमरिया घाट, महम्मदपुर मोड़, राजापट्टी, मसरख, नगरा	173	आर0टी0ए0, सारण
33	5508	छपरा से घोड़ासाहन	नगरा, मसरख, राजापट्टी, महम्मदपुर मोड़, ढुमरिया घाट, मोतिहारी	घोड़ासाहन से छपरा	मेतिहारी, ढुमरिया घाट, महम्मदपुर मोड़, राजापट्टी, मसरख, नगरा	169	आर0टी0ए0, सारण
34	5509	गोपालगंज से औरंगाबाद	सिवान, छपरा, आरा, सहार, अरवल, दाउदनगर	औरंगाबाद से गोपालगंज	छाउदनगर, अरवाल, सहार, आरा, छपरा, सिवान	275	आर0टी0ए0, सारण
35	5510	छपरा से सीतामढ़ी	मशरख, बंगराघाट, चकिया, मधुबन, शिवहर	सीतामढ़ी से छपरा	शिवहर, मधुबन, चकिया, बंगराघाट, मसरख	135	आर0टी0ए0, सारण
36	5511	दरौली से सीतामढ़ी	सिवान, मलमलिया, मसरख, बंगराघाट, चकिया, मधुबन, शिवहर	सीतामढ से दरौली	शिवहर, मधुबन, चकिया, बंगराघाट, मसरख, मलमलिया, सिवान	150	आर0टी0ए0, सारण
37	5512	सिवान से दरभंगा	छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर	दरभंगा से सिवान	मुजफ्फरपुर, रेवाघाट, छपरा	202	आर0टी0ए0, सारण
38	5513	सिवान से गया	छपरा, आरा, सहार, अरवाल, दाउदनगर, औरंगाबाद, शेरघाटी	गया से सिवान	शेरघाटी, औरंगाबाद, दाउदनगर, अरवल, सहार, आरा, छपरा	321	आर0टी0ए0, सारण
39	5514	मेहरौना बिहार बॉडर से आरा	सिवान, एकमा, छपरा, डोरिगंज	आरा से मेहरौना बिहार बॉडर	डोरिगंज, छपरा, एकमा, सिवान	180	आर0टी0ए0, सारण
40	5515	दरौली से पटना	असाव, आन्दर, सिवान, मलमलिया, मसरख, मढ़ौरा, अमनौर, सोनहो, परसा, सीतलपुर, हाजीपुर	पटना से दरौली	हाजीपुर, सीतलपुर, परसा, सोनहो, अमनौर, मढ़ौरा, मसरख, मलमलिया, सिवान, आन्दर, असाव	185	आर0टी0ए0, सारण
41	5516	दरौली से पटना	असाव, आन्दर, सिवान, एकमा, छपरा, दिघवारा	पटना से दरौली	दिघवारा, छपरा, एकमा, सिवान, आन्दर, असाव	180	आर0टी0ए0, सारण
42	5517	जामो से गोपालगंज	बेलसर, कल्याणपुर, पुरसोतम्पुर, विशेषरपुर, विषुणपुरा बाजार, पिपरा, फुलवरीया, दानापुर	गोपालगंज से जामो	दानापुर, फुलवरीया, पिपरा, विषुणपुरा बाजार, विशेषरपुर, पुरसोतम्पुर, कल्याणपुर, बेलसर	45	आर0टी0ए0, सारण
43	5518	कचनार से सिवान	जलखरा, महानगर, चौनपुर, हसनपुरा, गोपालपुर	सिवान से कचनार	गोपालपुर, हसनपुरा, चौनपुर, महानगर, जलखरा	40	आर0टी0ए0, सारण
44	5519	बल्हा बाजार से छपरा	बनकेरवा, परसा, भेल्दी, गरखा	छपरा से बल्हा बाजार	गरखा, भेल्दी, परसा, बनकेरवा	50	आर0टी0ए0, सारण
45	5520	परसौना से छपरा	बहलोलपुर, बलहा, मकेर, भेलदी, गरखा	छपरा से परसौना	गरखा, भेलदी, मकेर, बलहा, बहलोलपुर	55	आर0टी0ए0, सारण
46	5521	अगुवानी से पूर्णियाँ	परबत्ता, मडैया, पसराहा, नारायणपुर, बिहपुर, नौगछिया, कूर्सेला, गेराबाड़ी	पूर्णियाँ से अगुवानी	गेराबाड़ी, कूर्सेला, नौगछिया, बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, मडैया, परबत्ता	115	परमिटधारी से प्राप्त
47	5522	कटारू से मुजफ्फरपुर बैरिया	मदन छपरा, फतैहाबाद, बसैठ, अम्बारा, बखरा, सरैया, भगवानपुर	मुजफ्फरपुर बैरिया से कटारू	भगवानपुर, सरैया, बखरा, अम्बारा, बसैठ, फतैहाबाद, मदन छपरा,	51	आर0टी0ए0, मुजफ्फरपुर

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

————————

अधिसूचनाएं

15 जून 2024

सं0 02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–2388 / एम०––राज्यान्तर्गत लीज क्षेत्र से बाहर वृहद / लघु खनिज के व्यापार के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–39 के तहत भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति लीज धारित क्षेत्र से बाहर प्रपत्र 'ट' में अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बगैर लघु / वृहत खनिज का भण्डारण नहीं कर सकता है। बगैर भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खनिजों को भण्डारण कर व्यवसाय करना बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत दण्डनीय है।

2. भण्डारण अनुज्ञप्ति में भण्डारित खनिज का लेखा–जोखा अनिवार्य है। खनिजों का अवैध खनन कर अवैध भण्डारण करने से पर्यावरणीय क्षति एवं राजस्व प्रभावित होता है। मानसून अवधि में बालूघाटों से बालू खनन प्रतिबंधित रहता है एवं इस अवधि में भण्डारित बालू की बिक्री ही जन सामान्य / परियोजनाओं में की जाती है। भण्डारण अनुज्ञप्ति की आड़ में किसी प्रकार का अवैध खनन / प्रेषण न हो, इसलिए भण्डारण अनुज्ञप्तिओं को विनियमित किया जाना आवश्यक है।

3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–84 के तहत विभाग खनिजों के संरक्षण, पर्यावरण के सतत विकास और सुरक्षा के लिए निदेश जारी करने के लिए सक्षम है।

4. अतएव उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त भण्डारण अनुज्ञप्ति के संबंध में निम्न निदेश जारी किए जाते है :–

(i) खनिजों के क्रय एवं विक्रय का समुचित लेखा–जोखा प्रपत्र 'ज' में निर्धारित पंजी में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन संधारित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें प्राप्त आई0डी0 पर ही खनिजों का क्रय किया जाएगा एवं उसी आई0डी0 से विक्रय हेतु ई–चालान निर्गत किया जाएगा।

(ii) भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ई–चालान के माध्यम से ही बालू का बिक्री / प्रेषण किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या–1882, दिनांक–15.05.2024 के आलोक में वैसे G.P.S. अधिष्ठापित वाहनों, जिनके चारों तरफ निर्धारित लाल रंग से 20 ईंच चौड़ी पट्टी पेंट हो एवं खनन वाहन–निबंधन संख्या तथा वाहन का निबंधन संख्या अंकित हो, को ही बालू के बिक्री की जाएगी।

(iii) अनुज्ञप्ति स्थल पर ही बालू बिक्री के विभाग के 'खनन सॉफ्ट' पोटल के माध्यम से लिए ई–चालान निर्गत किया जाएगा।

(iv) भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल के चारों तरफ कांटेदार तार (barbed wire) से इस प्रकार फेंसिंग किया जाएगा कि निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त अन्य तरफ से कोई वाहन प्रवेश नहीं कर सके।

(v) भण्डारित बालू स्थल पर साईन बोर्ड लगा होगा, जिसपर अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्ण विवरणी एवं विक्रय मूल्य आदि अंकित होगा।

(vi) भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल से बालू का परिवहन तारपोलिन से ढक कर किया जाएगा।

(vii) भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र में धर्मकाँटा का अधिष्ठापन किया जाएगा एवं अधिष्ठापित धर्मकाँटा को NIC के Portal से संबद्ध किया जाएगा। खनिज का बिक्री केवल धर्मकाँटा से वजन कराकर ई–चालान निर्गत कर किया जाएगा। जिस मार्ग पर धर्मकाँटा अधिष्ठापित है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का उपयोग खनिज प्राप्ति या निकासी के लिए नहीं किया जाएगा।

(viii) भण्डारण स्थल एवं निकासी मार्ग / अधिष्ठापित धर्मकाँटा पर CCTV कैमरा का भी अधिष्ठापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कंट्रोल एवं कमांड रूम से संबद्ध किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को न्यूनतम 01 (एक) माह तक CCTV कैमरा का बैकअप संधारित किया जाएगा।

(ix) सभी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खनिज भण्डारित स्थल के सभी कॉर्नर का Geo-Cordinate, जमीन का खाता / खेसरा तथा जमीन के एकरारनामा से संबंधित सभी कागजात संधारित किया जाएगा एवं उसकी पूर्ण विवरणी संबंधित जिला खनन कार्यालय में जमा की जाएगी।

(x) खनिज भण्डारण स्थल पर पर्यावरणीय प्रावधानों का भी अनुपालन भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(xi) सभी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक 15 दिनों में भण्डारण स्थल पर उपलब्ध खनिज की मात्रा का आंकलन ड्रोन / थिडोलाइट से कराकर संबंधित जिला खनन कार्यालय को समर्पित किया जाएगा। आंकलित मात्रा का मिलान NIC के Portal पर उपलब्ध खनिज की मात्रा से किया जाएगा। मिलान में भण्डारण स्थल पर खनिज की मात्रा से कम / अधिक खनिज की मात्रा पाये जाने पर बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2021 के नियम–56 के तहत दण्डनीय होगा।

(xii) सभी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक माह प्रपत्र 'झ' में खनिजों के लिए रिटर्न जिस माह से वह संबंधित हो, उसके अगले माह की 15वीं तिथि तक प्रत्येक माह समर्पित करेगा।

उक्त व्यवस्था दिनांक–15.07.2024 तक सभी अनुज्ञप्तिधारी को सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह, सचिव।

————————

15 जून 2024

सं0 02 / एम0एम0(बा0)–10 / 24–2387 / एम०––बालूघाटों से बालू खनन के पश्चात सूखे बालू का ही परिवहन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बंदोबस्तधारी द्वारा नदी के किनारे सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था किया जाना है। इसके लिए बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका 16 (VIII) के अनुसार नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर बालू लादने के लिए सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था बंदोबस्तधारी द्वारा किया जाना है एवं इस भण्डारण के लिए किसी लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं है।

2. मानसून अवधि में बालूघाटों से बालू खनन प्रतिबंधित रहता है एवं इस अवधि में भी भण्डारित बालू की बिक्री जन सामान्य / परियोजनाओं में बंदोबस्तधारी द्वारा की जाती है। बालू बंदोबस्तधारी द्वारा नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर खनिज का भण्डारण खनन योजना / पर्यावरणीय स्वीकृति में अनुमान्य मात्रा के अनुसार ही किया जा रहा है एवं इसकी आड़ में किसी प्रकार का अवैध खनन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इसका विनियमन आवश्यक है।

3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–84 के तहत विभाग खनिजों के संरक्षण, पर्यावरण के सतत विकास और सुरक्षा के लिए निदेश जारी करने के लिए सक्षम है।

4. अतएव उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त बालू के सेकेण्डरी लोडिंग के संबंध में निम्न निदेश जारी किए जाते है :–

(i) बंदोबस्तधारी द्वारा सेकेण्डरी लोडिंग स्थल की सूचना (भूमि के पूर्ण विवरण सहित) खनिज विकास पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।

(ii) बंदोबस्तधारी द्वारा सेकेण्डरी लोडिंग स्थल के सभी कार्नर का Geo-Cordinate, खाता / खेसरा एवं रैयत से किये गये एकरारनामा से संबंधित कागजात जिला खनन कार्यालय एवं ऑनलाईन पोर्टल पर समर्पित किया जाएगा।

(iii) बालू के भण्डारण एवं प्रेषण का समुचित लेखा–जोखा प्रपत्र 'ज' में निर्धारित पंजी में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन बंदोबस्तधारी द्वारा संधारित किया जाएगा।

(iv) यदि सेकेण्डरी लोडिंग स्थल ऐसा हो कि बालूघाट का मार्ग (धर्मकाँटा का रास्ता) एवं सेकेण्डरी लोडिंग स्थल का मार्ग एक ही तो अलग धर्मकाँटा अधिष्ठापन की अवश्यकता नहीं होगी। अन्य मार्ग होने की स्थिति में सेकेण्डरी लोडिंग स्थल के लिए अलग से धर्मकाँटा अधिष्ठापित करना होगा।

(v) सेकेण्डरी लोडिंग स्थल के चारों तरफ एवं अधिष्ठापित धर्मकाँटा स्थल तक कांटेदार तार (barbed wire) से इस प्रकार फेंसिंग किया जाएगा कि निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त अन्य तरफ से कोई वाहन प्रवेश नहीं कर सके।

(vi) अधिष्ठापित एवं NIC के Portal से संबंद्ध धर्मकाँटा से ही बालू का बिक्री वजन कराकर ई–चालान निर्गत कर किया जाएगा। जिस मार्ग पर धर्मकाँटा अधिष्ठापित है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का उपयोग खनिज प्राप्ति या निकासी के लिए नहीं किया जाएगा।

(vii) सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर साईन बोर्ड लगा होगा, जिसपर बंदोबस्तधारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्ण विवरणी एवं विक्रय मूल्य आदि अंकित होगा।

(viii) सेकेण्डरी लोडिंग स्थल से बालू का परिवहन तारपोलिन से ढक कर किया जाएगा।

(ix) सेकेण्डरी लोडिंग स्थल एवं निकासी मार्ग / अधिष्ठापित धर्मकाँटा पर CCTV कैमरा का भी अधिष्ठापन बालू बंदोबस्तधारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कंट्रोल एवं कमांड रूम से संबंद्ध किया जाएगा। बालू बंदोबस्तधारी को न्यूनतम 30 (तीस) दिनों तक CCTV कैमरा का बैकअप संधारित किया जाएगा।

(x) बालू बंदोबस्तधारी द्वारा ई–चालान के माध्यम से ही बालू का बिक्री / प्रेषण किया जाएगा। बंदोबस्तधारी द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के अधिसूचना संख्या–1882, दिनांक–15.05.2024 के आलोक में वैसे G.P.S. अधिष्ठापित वाहनों, जिनके चारों तरफ निर्धारित लाल रंग से 20 ईंच चौड़ी पट्टी पेंट हो एवं खनन वाहन–निबंधन संख्या तथा वाहन का निबंधन संख्या अंकित हो, को ही बालू के बिक्री की जाएगी।

(xi) सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर पर्यावरणीय प्रावधानों का भी अनुपालन बंदोबस्तधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(xii) प्रत्येक वर्ष के 15 जून के मध्य रात्रि से मानसून अवधि शुरूआत होने के कारण पर्यावरणीय शर्त्तों के आलोक में बालू खनन बंद हो जाता है। मानसून अवधि में सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर भण्डारित बालू से

बंदोबस्तधारी द्वारा बालू का बिक्री किया जाएगा। इस हेतु सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर उपलब्ध बालू की मात्रा का आंकलन खनन पदाधिकारी द्वारा ड्रोन/ थिडोलाइट से कराया जाएगा एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित बालू बंदोबस्तधारी द्वारा किया जाएगा।

(xiii) जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर भण्डारित बालू का सत्यापन संधारित पंजी, जमा मासिक रिटर्न एवं ड्रोन/ थिडोलाइट से आंकलित बालू की मात्रा से किया जाएगा एवं सत्यापन उपरांत ही सेकेण्डरी लोडिंग स्थल से बालू की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

(xiv) संधारित पंजी, जमा मासिक रिटर्न एवं ड्रोन/ थिडोलाइट से आंकलित बालू की मात्रा से अधिक/ कम भण्डारण पाये जाने पर बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(xv) बालू बंदोबस्तधारी द्वारा प्रत्येक 15 दिनों में सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर उपलब्ध खनिज की मात्रा का आंकलन ड्रोन/ थिडोलाइट से कराकर संबंधित जिला खनन कार्यालय को समर्पित किया जाएगा, जिसका सत्यापन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा भौतिक रूप से किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

————————

No. 670––I, Sonu Kumar, S/o Late Ram Lakhan Prasad, R/o Vill- Khudhanu Belwa, Rohtas Belwan, Bihar-802217 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 6238 dt. 21.05.24 that my name is written in my daughter Soumya Soni's Birth Certificate as Sonu Soni which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Sonu Kumar and from now I will be known as Sonu Kumar for all future and legal purposes.

Sonu Kumar.

————————

No. 671––I, Urmila Yadav, W/o Om Prakash R/o Vill-Panditpur Rajgir, Distt.-Nalanda, Bihar- 803116 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 6152 dt. 16.05.24 that my name is written in my daughter Radhika Kumari's CBSE 10th all documents as Urmila Devi which is wrong. As per my Aadhar Card my correct name is Urmila Yadav and from now I will be known as Urmila Yadav for all future and legal.

Urmila Yadav.

————————

सं0 672––मैं मो0, अफजल खां, पिता–मो0 कासिम खां, निवासी–ग्राम–पो0–हरिहरपुर, माधोपुर वार्ड नं0–13, थाना–छातापुर, सुपौल–852137, बिहार शपथ पत्र 1125 दिनांक 11.03.2024 द्वारा घोषणा करता हूं कि अब मुझे मो0 अफजल खां के स्थान पर डा0 मो0 अफजल खां के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

मो0 अफजल खां।

————————

No. 673––I, Savitri Kumari, W/o Amrendra Kumar Singh. R/o Deoria, Saran, Bihar-841225 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no. 2953 dt. 28.03.2024 that Yuvraj Singh and Ashish Kumar are my Sons. My name is written in Yuvraj Singh's all educational documents and Ashish Kumar's 10th CBSE all documents as Savitri Singh which is wrong. As per Aadhar Card, Pan Card and all educational documents my correct name is Savitri Kumari and from now I will be known as Savitri Kumari for all future and legal purposes.

Savitri Kumari.

————————

No. 677––I, Keshav S/o Manish Kumar, R/o Pato ki Bag Diwan Mohalla, Sampatchak, Patna City 800008 (Bihar) do hereby Solemnly affirm and declare as per aff. No-2273 dt. 21-07-2023 that my name is written in all documents and above Aadhar Card No-6142 5270 0625 as Keshav from now I will be known as Keshav Sinha for all future Purposes.

Keshav.

————————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–19/2022––5186

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

8 जुलाई 2024

श्री विजय कुमार अरोड़ा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) के विरूद्ध उनके केन्द्रीय कारा, गया में पदस्थापन के दौरान दिनांक–29.03.2022 को तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा केन्द्रीय कारा, गया में किये गये निरीक्षण में पायी गयी कतिपय अनियमितता एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 की निविदा में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय ज्ञापांक 5364 दिनांक 13.05.2022 द्वारा आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री अरोड़ा से लिखित अभिकथन की माँग की गई। तद्आलोक में श्री अरोड़ा द्वारा पत्रांक 3511 दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया, जिसे सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7491 दिनांक–08.07.2022 द्वारा श्री अरोड़ा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को संचालन पदाधिकारी तथा श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक–1806/विधि, दिनांक–26.04.2023 के माध्यम से संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री विजय कुमार अरोड़ा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल आठ (08) आरोपों में से आरोप संख्या–01, 06 एवं 08 को प्रमाणित, आरोप संख्या–02, 03 एवं 04 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या 05 एवं 07 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय ज्ञापांक–4823 दिनांक–07.06.2023 द्वारा श्री विजय कुमार अरोड़ा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

4. तद्आलोक में श्री विजय कुमार अरोड़ा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) द्वारा अपने पत्रांक–6556/जेल, दिनांक–14.09.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि कारा महानिरीक्षक के निरीक्षण के दिन सुबह के नाश्ते में चना एवं गुड़ चला था। बंदियों के नाश्ते में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं बरती गई है, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किस्म का हीं नाश्ता दिया गया था। कैदियों को रोजाना नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है तथा विभागीय स्तर से निर्गत आहार तालिका के अनुसार नियमित रूप से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक–29.03.2022 को कैदियों को चना, गुड़ एवं चाय दिया गया था और इसके लिए मात्रानुसार सामग्री कारा गोदाम से पाकशाला भोजन समिति को मुहैया करवाया गया था। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि गोदाम में पर्याप्त राशन था और निरीक्षण के दिन भी पर्याप्त मात्रा में राशन कारा के गोदाम में रखा हुआ था। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि खाद्य पदार्थ में से कुछ वस्तुओं को कभी–कभी मधुमेह एवं बी०पी० से पीड़ित बंदी अपने इलाज की दृष्टि से अपने पास रखते हैं।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा अनेक बार जेल परिसर की तलाशी ली गयी है और आपत्तिजनक सामान मिलने पर कई बार दोषी बंदियों एवं कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ स्थानीय थाना में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करने की कार्रवाई की गयी है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके कारा भ्रमण के दौरान किसी बंदी से किसी दबंग बंदी द्वारा खाने या सुविधा देने के नाम पर अवैध वसूली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न हीं किसी बंदी द्वारा कारा महानिरीक्षक के निरीक्षण के दौरान यह शिकायत की गई कि किसी दबंग बंदी द्वारा अवैध वसूली की जाती है। कारा महानिरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में पाये जाने वाला नकद राशि मात्र दो–तीन बंदी के पास पाया गया था। उक्त बंदियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु अपील करने के लिए रखा गया था। संयोगवश कारा महानिरीक्षक द्वारा निरीक्षण के क्रम में ये राशियाँ कक्ष के अंदर बंदियों के पास पाया गया था। कारा महानिरीक्षक द्वारा निरीक्षण के क्रम में एक बंदी के पास डायरी पाई गई थी, जिसमें कुछ राशि का ब्योरा अंकित था। उक्त डायरी में अंकित राशि को वसूली की राशि की संज्ञा दी गई है। उस कक्ष के किसी अन्य बंदी द्वारा राशि वसूलने की पुष्टि नहीं की गई है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि विभागीय पत्रांक 2380 दिनांक 30.03.2020 के माध्यम से जारी निर्देश के बाद कारा में खरीददारी ई–निविदा प्रक्रिया द्वारा की जाती है और खरीदे जाने वाली सामग्री के लिए निविदा तभी निर्गत की जाती है, जब इसे जिला कारा क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं एवं जेल अधीक्षक उक्त समिति के सिर्फ एक मात्र सचिव होते हैं। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा विभाग को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कतिपय विसंगतियाँ है। विभागीय पत्रांक–2380 दिनांक–30.03.2020 द्वारा निर्गत ई–निविदा के मॉडल प्रारूप के दिशा–निर्देश में यह शर्त अंकित किया गया है कि निविदादाता फर्म को EMD और शपथ पत्र की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि निविदादाता फर्म को किसी भी सरकारी संस्थान/संगठन कार्यालय/उपक्रम/संस्था/समिति द्वारा कालीकृत न किया गया हो और न हीं कालीकृत किये जाने संबंधी प्रक्रिया या आपराधिक वाद लंबित हो। उपरोक्त को जेल के कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, लेकिन समिति द्वारा दिनांक 01.04.2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेल्ट्रॉन के साईट पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को जेल के कार्यालय मे जमा किया जाना है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मॉडल निविदा शर्त के अनुरूप EMD की प्राप्ति रसीद एवं शपथ पत्र, जो कि कार्यालय में जमा करना है, के अलावा अन्य कागजातों के आधार पर किसी निविदादाता फर्म को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि विभागीय पत्रांक–2380 दिनांक–30.03.2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि EMD राशि की रसीद जेल कार्यालय में जमा की जानी है। उक्त पत्र के साथ संलग्न एक मॉडल निविदा प्रारूप में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति को इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उसकी फर्म काली सूची में नहीं है और उसके खिलाफ काली सूची में डालने की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। केन्द्रीय कारा, गया द्वारा वर्ष 2021–2022 के लिए खरीद करने के लिए जारी ई–निविदा में केवल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति का उल्लेख है कि उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है या उसके खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। निविदा में भाग लेने वाले फर्म को मॉडल टेन्डर के अनुरूप EMD जमा की प्राप्ति की प्रति कार्यालय में जमा करना है, के आलोक में वर्ष 2021–2022 हेतु जिला कारा क्रय समिति की स्वीकृति के उपरांत जारी ई–निविदा में EMD की रसीद की प्रति कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 20.03.2021 थी, लेकिन शिकायतकर्त्ता पंकज ट्रेडर्स के द्वारा EMD जमा नहीं किया गया और उक्त फर्म इस आशय का हलफनामा भी मूल रूप में प्रस्तुत करने में विफल रहा कि उसके फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है या उक्त फर्म के खिलाफ काली सूची में डालने की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और इसलिए उसकी तकनीकी बोली निर्धारित तिथि पर नहीं खोला गया। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि मॉडल निविदा के शर्तों में इसका वर्णन होने के आधार पर केन्द्रीय कारा, गया एवं उपकारा, शेरघाटी की निविदा में इसे माँगा गया, जो कि मॉडल निविदा से विचलन नहीं है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि निविदा प्रक्रिया में 16 निविदादाताओं ने भाग लिया, उसमें सिर्फ पंकज ट्रेडर्स को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि यह आरोप कि इस शर्त के समावेश के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई तथा ई–निविदा के उद्देश्यों का उल्लंघन हुआ तथा संवेदकों को अनावश्यक रूप से लाभ या हानि पहुँचाने हेतु ऐसी शर्तों का समावेश किया गया, सही नहीं है।

5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अरोड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। बंदियों को नाश्ता उपलब्ध नहीं कराने के आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में कहना है कि कैदियों को रोजाना नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है तथा दिनांक–29.03.2022 को कैदियों को चना–गुड़ एवं चाय दिया गया था, जबकि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि मात्र एक बंदी द्वारा नाश्ता नहीं मिलने की शिकायत की गई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायत करने वाला बंदी एक हो या अधिक, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बंदियों का राशन कारा गोदाम में पर्याप्त मात्रा में नहीं पाये जाने के आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि कारा गोदाम में पर्याप्त राशन था और निरीक्षण के दिन भी पर्याप्त मात्रा में राशन कारा के गोदाम में रखा हुआ था, जबकि दिनांक–29.03.2022 को

तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा केन्द्रीय कारा, गया में किये गये निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संध्या के भोजन के लिए तैयार खाद्य सामग्री में 08 क्विंटल आटा के बदले 04 क्विंटल कम एवं 07 क्विंटल सब्जी के बदले 02 क्विंटल सब्जी कम पाया गया, जबकि अभिलेखों में बंदियों की संख्या के अनुसार खाद्य सामग्रियों की मात्रा entry की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में बढ़ी हुई अनाज/खाद्यान्न/सब्जी का दर्ज किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। इस प्रकार निरीक्षी पदाधिकारी तत्कालीन कारा महानिरीक्षक के द्वारा भौतिक जाँच में स्टॉक के अनुसार खाद्य सामग्री में काफी अंतर पाई गयी है।

कुछ बंदियों के पास से खाद्य सामग्री बरामद होने के आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि कभी–कभी मधुमेह एवं बी0पी0 से पीड़ित बंदी कुछ खाद्य वस्तुओं को अपने इलाज के दृष्टि से अपने पास रखते हैं। उनका कहना है कि किसी बंदी द्वारा अलग से किसी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता है तथा सभी बंदियों का भोजन कारा में चल रहे भंसा में हीं बन रहा था। निरीक्षी पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 10.3 में उल्लेख है कि बंदी कक्ष संख्या 1/5 के निरीक्षण में सजावार बंदी विनोद यादव के पास खाद्य सामग्री बरामद हुई। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बंदी विनोद यादव को कौन सी बीमारी थी। दिनांक–29.03.2022 को तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा केन्द्रीय कारा, गया में किये गये निरीक्षण में बंदी कक्षों से कतिपय आपत्तिजनक सामग्री यथा–खैनी, टिन का बक्सा, चाकू, पेंचकश इत्यादि पाया गया। इस आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि पूर्व में उनके द्वारा अनेक बार कारा परिसर की तलाशी ली गई है और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर बंदियों एवं कर्मियों के विरूद्ध स्थानीय थाना में F.I.R दर्ज कराई गयी है। आरोपित पदाधिकारी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि कारा में निरीक्षण के नाम पर उनके द्वारा महज F.I.R दर्ज कराने की खानापूर्ति की गई है। उनके द्वारा कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने हेतु कोई कारगर व्यवस्था स्थापित नहीं की गई, परिणामस्वरूप तत्कालीन कारा महानिरीक्षक के उक्त निरीक्षण के दौरान बंदी कक्षों से प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई है, जो आरोपित पदाधिकारी की कारा पर प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव को परिलक्षित करता है।

वार्ड में बंदी के पास से नकद राशि एवं डायरी मिलने के आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि बंदियों द्वारा पारिश्रमिक की राशि में से शेष राशि माननीय उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु अपील करने के लिए रखा गया था, जबकि दिनांक–29.03.2022 को निरीक्षी पदाधिकारी तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा केन्द्रीय कारा, गया में किये गये औचक निरीक्षण में बंदी विरेन्द्र प्रसाद के पास नकद राशि के साथ–साथ डायरी भी पाई गयी। बंदी विरेन्द्र प्रसाद द्वारा बताया गया कि भोजन के लिए प्रति बंदी 500–600 रूपये की वसूली की जाती है। विभागीय कार्यवाही की जाँच में दबंग कैदियों द्वारा बंदियों से वसूली करने के आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन कारा महानिरीक्षक के उक्त निरीक्षण में बंदी के पास वार्ड में बड़ी मात्रा में नकद राशि मिलना एवं डायरी में वसूली की प्रविष्टि इत्यादि मिलना दबंग बंदियों/वार्ड इंचार्ज द्वारा अन्य बंदियों का आर्थिक शोषण किये जाने को परिलक्षित करता है। स्पष्ट है कि बंदियों को अतिरिक्त सुविधा देने के एवज में वार्ड इंचार्ज द्वारा अवैध वसूली की जाती थी, जिसमें कारा प्रशासन की संलिप्तता दृष्टिगोचर होती है।

केन्द्रीय कारा, गया के वित्तीय वर्ष 2021–22 की निविदा शर्तों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों की जाँच हेतु गठित विभागीय त्रिसदस्यीय जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्रीय कारा, गया की वित्तीय वर्ष 2021–22 की निविदा प्रक्रिया में कतिपय कमियाँ पायी गयी है, यथा–कारा पर EMD के साथ Beltron के साईट पर Upload सभी कागजातों की मांग कारा कार्यालय पर किया जाना मॉडल निविदा शर्तों का उल्लंघन है। इस आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि जाँच समिति द्वारा दिनांक 01.04.2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेल्ट्रॉन के साईट पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को जेल के कार्यालय में जमा किया जाना है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मॉडल निविदा शर्त के अनुरूप EMD की प्राप्ति रसीद एवं शपथ पत्र, जो कार्यालय में जमा करना है, के अतिरिक्त अन्य कागजातों के आधार पर किसी निविदादाता फर्म को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि निविदा प्रक्रिया में 16 निविदादाताओं ने भाग लिया, उसमें सिर्फ पंकज ट्रेडर्स को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया, जबकि विभागीय पत्रांक–2380, दिनांक–30.03.2020 द्वारा काराओं को परिचालित मॉडल ई–निविदा सूचना प्रपत्र की कंडिका–05 में अग्रधन राशि (Earnest Money Deposit) की रसीद की प्रति कार्यालय में जमा करने का वर्णन है, किन्तु अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया के पत्रांक–1118, दिनांक–05.03.2022 द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना की कंडिका–iv में EMD के साथ बेल्ट्रॉन के साईट पर अपलोड किये गये सभी कागजातों की हार्ड कॉपी कारा कार्यालय में जमा करने का निदेश दिया गया है, जो विभागीय निर्देश के प्रतिकूल है तथा मॉडल निविदा शर्तों का उल्लंघन है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा भले हीं निविदा सूचना में सभी हार्ड कॉपी जमा करने का निदेश अंकित कर दिया गया, किन्तु इस आधार पर किसी के निविदा आवेदन को असफल घोषित नहीं किया गया है, जबकि निविदादाता पंकज कुमार के द्वारा EMD तथा शपथ पत्र की मूल प्रति जमा नहीं करने के कारण उनके आवेदन को असफल घोषित किया गया है। विभागीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि केन्द्रीय कारा, गया द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना में बेल्ट्रॉन के साईट पर अपलोड किये गये सभी कागजातों की हार्ड कॉपी जमा करने का निदेश दिया गया है, जो विभागीय मार्गदर्शिका के विरूद्ध है।

आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में कहना है कि EMD एवं शपथ पत्र मूल में जमा करना टेंडर के मूल प्रारूप का अंग है। पूरे निविदा की प्रक्रिया में लगभग 16 निविदादाता शामिल हुए, जिसमें सिर्फ एक निविदादाता पंकज कुमार को EMD एवं शपथ पत्र मूल रूप में जमा नहीं करने के कारण असफल घोषित किया गया, जबकि दोनों शर्त मॉडल निविदा का स्थायी रूप से वर्णित शर्त है। आरोपित पदाधिकारी का यह कथन स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही की जाँच में पाया गया है कि केन्द्रीय कारा, गया में विभागीय निर्देश के अनुसार निविदा सूचना प्रकाशित न कर सभी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करने का शर्त जोड़कर मॉडल निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकार कारा कार्यालय पर संवेदक को बुलाकर EMD एवं शपथ पत्र संबंधी अभिलेख की मांग किया जाना ई–निविदा के मूल उद्देश्यों को विफल करना है, जबकि डिजिटल फॉर्म में अपलोड किए गए सभी अभिलेख उपलब्ध रहते हैं। विभागीय जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय कारा, गया की वित्तीय वर्ष 2021–22 की निविदा में उपरोक्त शर्तों के समावेश के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई है तथा ई–निविदा के उद्देश्यों का उल्लंघन हुआ है। विभागीय निर्देश एवं मॉडल निविदा शर्तों के विपरीत ऐसे शर्तों का समावेश किये जाने के कारण एक निविदादाता पंकज कुमार निविदा हेतु असफल घोषित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि ई–निविदा का मूल उद्देश्य पारदर्शी एवं पक्षपात रहित निविदा सम्पन्न कराया जाना है।

इस प्रकार दिनांक–29.03.2022 को तत्कालीन कारा महानिरीक्षक द्वारा केन्द्रीय कारा, गया में किये गये औचक निरीक्षण में पाई गयी कतिपय अनियमितता यथा–बंदियों को सुबह का नाश्ता नहीं मिलना, कारा में स्टॉक के अनुसार पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध नहीं होना, कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा दबंग कैदियों द्वारा बंदियों से वसूली करने के आरोप विभागीय कार्यवाही की जाँच में प्रमाणित पाये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के सम्यक् निर्वहन में गम्भीर लापरवाही एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 की निविदा में वित्तीय अनियमितता बरती गई है। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

6. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विजय कुमार अरोड़ा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया (सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी) के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :–

'' संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ''।

7. **उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2225 दिनांक 13.03.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। तद्आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 989 दिनांक 20.06.2024 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।**

8. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विजय कुमार अरोड़ा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) के प्रावधान के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

'' संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ''।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

———————

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–13/2018––5187

———————

8 जुलाई 2024

श्री राजीव कुमार झा, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान दिनांक–11.08.2018 को जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर द्वारा कारा में की गई औचक छापेमारी में 12 मोबाईल फोन, 04 मोबाईल चार्जर, 03 सिम कार्ड तथा भारी मात्रा में नशीली एवं प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी, छोटे–मोटे कारणों से भी कैदियों को लम्बे समय तक एवं बार–बार कारा अस्पताल में नियम विरूद्ध रखे जाने तथा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य अभियुक्त बंदी ब्रजेश ठाकुर को अनुचित ढंग से कारा अस्पताल वार्ड में रखे जाने एवं उसे अनुचित लाभ पहुँचाने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री झा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय ज्ञापांक 5989 दिनांक 12.07.2019 द्वारा आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री झा से लिखित अभिकथन की माँग की गई। तद्आलोक में श्री झा द्वारा लिखित बचाव अभिकथन दिनांक 06.09.2019 समर्पित किया गया, जिसे सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9901 दिनांक–20.11.2019 द्वारा श्री राजीव कुमार झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय

कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रूपक कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री रूपक कुमार के अन्य मामले में निलंबित हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक–6141 दिनांक–01.06.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में उनके स्थान पर श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–919 दिनांक–03.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री राजीव कुमार झा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी सात (07) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय ज्ञापांक–2943 दिनांक–11.04.2023 द्वारा श्री राजीव कुमार झा को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

5. तद्आलोक में श्री राजीव कुमार झा द्वारा अपने पत्रांक–4420 दिनांक–01.07.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी के लिए उपाधीक्षक (प्रशासन एवं सुरक्षा) को ही बिहार कारा हस्तक, 2012 में जवाबदेह बनाते हुए दायित्व दिया गया है। श्री झा का कहना है कि उन्होंने नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होने के दायित्वों का निर्वहन पूरी सजगता से किया है, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य को ही चयनात्मक (Selective) मानते हुए उन्हें ही दोषी करार दिया गया है।

श्री झा का कहना है कि बंदी ब्रजेश ठाकुर के मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिउत्तर दिया गया कि SKMCH, मुजफ्फरपुर से discharge होने के बाद बंदी को सामान्य वार्ड में न रखकर सीधे कारा अस्पताल में भर्ती किया गया, जो अवैध रूप से विशेष सुविधा प्रदान करने का प्रमाण है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि वस्तुतः उनके योगदान के पश्चात् दिनांक 26.06.2018 को कारा से अधीक्षक, SKMCH, मुजफ्फरपुर से पत्राचार के बाद ही बंदी ब्रजेश ठाकुर को दिनांक 27.06.2018 को SKMCH, मुजफ्फरपुर से discharge किया गया। कारा चिकित्सकों द्वारा Monitoring के उद्देश्य से संभवतः उक्त बंदी को कारा अस्पताल में रखा गया। श्री झा का कहना है कि बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 27 के अनुसार बीमार का चिकित्सा उपचार छोड़कर सभी विषयों में अधीक्षक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन चिकित्सा पदाधिकारी कारा के चिकित्सा प्रशासन का प्रभारी होगा। बंदी ब्रजेश ठाकुर Sugar, HTN से पीड़ित था और दिनांक 11.08.2018 को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य दो चिकित्सकों द्वारा उक्त बंदी के स्वास्थ्य की जाँच करने पर RBS 489 एवं BP 150/90 पाया गया, जिस कारण उक्त तिथि 11.08.2018 को उक्त बंदी को कारा अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया, जबकि उसी तिथि को 22 अन्य बंदियों को कारा अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। बाद में दिनांक 14.08.2018 को पुनः कारा चिकित्सकों के जाँचोपरान्त उक्त बंदी के स्वास्थ्य को सामान्य पाये जाने पर उसे कारा अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आवश्यकतानुसार कारा चिकित्सकों के द्वारा उक्त बंदी को कारा अस्पताल में भर्ती किया गया तथा कारा अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन का निष्पक्षता के साथ परीक्षण नहीं करते हुए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिउत्तर को ही आधार मानते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा विवेकपूर्ण मत का निर्धारण (application of judicious mind) नहीं किया गया है।

6. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त स्पष्ट है कि दिनांक–11.08.2018 को जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर द्वारा शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में औचक रूप से की गई सघन तलाशी एवं छापेमारी में 12 मोबाईल फोन, 04 मोबाईल चार्जर, 03 सिम कार्ड, 12 चाकू, 08 कैंची, 03 हेडफोन एवं काफी मात्रा में नशीली वस्तुएँ यथा–खैनी, गुटखा, भांग, सिगरेट इत्यादि प्रतिबंधित सामग्रियाँ बरामद की गई। स्पष्ट है कि इतनी बड़ी मात्रा में निषिद्ध सामग्री कारा के अन्दर छुपाकर नहीं ले जाई जा सकती। स्पष्टतः इसमें कारा कर्मियों की मिलीभगत परिलक्षित होती है। इतनी बड़ी मात्रा में निषिद्ध सामग्रियों की बरामदगी से यह भी स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णतः प्रभावहीन थी। इससे उनके द्वारा की गई कार्रवाई के चयनात्मक (selective) होने का भी आभास होता है। निषिद्ध सामग्री का कारा में प्रवेश कारा पदाधिकारी/कर्मियों की मिलीभगत से हीं संभव है। स्पष्ट है कि कारा प्रशासन द्वारा कारा में बंदियों को अनुचित एवं नियम विरूद्ध मोबाईल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही थी, जिसमें आरोपित पदाधिकारी की प्रशासनिक विफलता एवं अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव परिलक्षित होता है। आरोपित पदाधिकारी का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–140 एवं 870 (iii) के विहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। बंदियों को कारा अस्पताल में admit करने एवं वहाँ से discharge करने के कार्य में चिकित्सकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, परन्तु यदि चिकित्सक मनमाने ढंग से अन्यथा कारण (ulterior motive) से बंदियों को कारा अस्पताल में बड़ी संख्या में भर्ती कर रख रहे हों, तो

ऐसी स्थिति में काराधीक्षक को अपने स्तर से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी एवं चिकित्सकों के इस अवैध क्रियाकलाप पर रोक लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, जो आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

कारा प्रशासन द्वारा कतिपय छोटे–मोटे कारणों से भी कैदियों को लम्बे–लम्बे समय तक एवं बार–बार कारा अस्पताल में रखा जा रहा था। स्पष्ट है कि इसका अनुचित एवं नियम विरूद्ध लाभ कैदियों को पहुँचाया जा रहा था। आरोपित पदाधिकारी का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–796 (i) एवं (ii) के विहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। बंदी ब्रजेश ठाकुर आरोपित पदाधिकारी के योगदान से पूर्व SKMCH, मुजफ्फरपुर में इलाजरत् था, जिसे दिनांक 27.06.2018 को उक्त अस्पताल द्वारा discharge कर दिया गया। सामान्यतः अस्पताल से किसी मरीज को उसके भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में हीं discharge किया जाता है। ऐसी स्थिति में SKMCH, मुजफ्फरपुर से दिनांक 27.06.2018 को discharge होकर कारा में वापस आने के बाद उक्त बंदी को सामान्य वार्ड में न रख कर सीधे कारा अस्पताल में अकारण भर्ती करने की कार्रवाई की गई, जो उक्त बंदी को अवैध रूप से विशेष सुविधा प्रदान करने का स्पष्ट प्रमाण है। उक्त बंदी को बिना किसी गंभीर बीमारी के अवैध रूप से कारा अस्पताल में भर्ती रखा गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारा प्रशासन द्वारा बंदी ब्रजेश ठाकुर को अनुचित ढंग से अस्पताल वार्ड में रखा गया एवं उसे अनुचित लाभ पहुँचाया गया। दिनांक–11.08.2018 को औचक निरीक्षण के समय जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पाया गया कि बंदी ब्रजेश ठाकुर का चलना–फिरना सामान्य था। पुनः उसके स्वास्थ्य की जाँच करायी गई और कारा प्रशासन के चिकित्सक द्वारा स्वस्थ घोषित कर उसे अस्पताल से discharge किया गया। उक्त बंदी को SKMCH, मुजफ्फरपुर द्वारा discharge करने के उपरांत उसे पुनः सीधे कारा अस्पताल में भर्ती करने में भी आरोपित पदाधिकारी की सहमति परिलक्षित होती है। स्पष्ट है कि बंदी ब्रजेश ठाकुर को कारा अस्पताल की सुविधा का अनुचित लाभ उपलब्ध कराया जा रहा था, जिसके लिए कारा के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी के रूप में आरोपित पदाधिकारी जिम्मेवार हैं। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजीव कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर) के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, भाग–V, नियम–14 (वृहत शास्तियाँ) के उपनियम–(vii) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :–

''कालमान वेतन में तीन (03) वेतनवृद्धि निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड, जिसका प्रभाव/कुप्रभाव इनकी भविष्य की वेतनवृद्धियों पर नहीं पड़ेगा और यह इन्हें स्वतः अनुमान्य होंगी ''।

8. **उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2157 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। तद्आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 990 दिनांक 20.06.2024 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।**

9. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजीव कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, भाग–V, नियम–14(वृहत शास्तियाँ) के उपनियम–(vii) के प्रावधान के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

'' कालमान वेतन में तीन (03) वेतनवृद्धि निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड, जिसका प्रभाव/कुप्रभाव इनकी भविष्य की वेतनवृद्धियों पर नहीं पड़ेगा और यह इन्हें स्वतः अनुमान्य होंगी ''।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

———

सं0 कारा/नि0को0(क)–84–10––5200

———

8 जुलाई 2024

श्री देवेन्द्र प्रसाद, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान जिला प्रशासन, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक–17.09.2010 की रात्रि में कारा में की गई छापेमारी में प्रतिबंधित सामग्रियों यथा–05 मोबाईल फोन, 05 मोबाईल चार्जर, 10 ग्राम गांजा, 06 चीलम एवं जेल का नक्शा की बरामदगी, अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उक्त छापेमारी से संबंधित विशेष शाखा की सूचना पर आधारित कारा निरीक्षणालय के स्पष्टीकरण में उसे भ्रामक करार दिये जाने, जिला पदाधिकारी द्वारा एतद् विषय पर स्पष्टीकरण पूछे जाने पर उसका जवाब नहीं देकर derogatory एवं अपमानजनक भाषा में पत्राचार करने, प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा के साथ अमर्यादित भाषा में पत्राचार करने एवं अन्य कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना

ज्ञापांक–5805 दिनांक–29.12.2010 के द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद को निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में उन्हें कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना में संलग्न किया गया एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विशेष सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, विशेष सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के दिनांक–31.03.2011 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने तथा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक विभागीय कार्यवाही की जाँच अपूर्ण रहने के कारण विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2316 दिनांक–26.05.2011 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–784 दिनांक–23.02.2012 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद को निलंबन से मुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–05/एम.सी., दिनांक–02.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी 06 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–790 दिनांक–03.02.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री देवेन्द्र प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। तद्आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक–16.02.2015 समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध गठित आरोपों के सन्दर्भ में कुछ न कहकर संचालन पदाधिकारी पर हीं अनावश्यक आरोप लगाया है। इसी प्रकार श्री प्रसाद द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यकलाप पर ही प्रश्नचिन्ह् लगाया गया है एवं माननीय प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा पर झूठ एवं सत्य से परे आँकड़े को प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जो पूर्णतः उनकी अनुशासनहीनता का द्योतक है। इस प्रकार श्री प्रसाद के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में आरोपों के सन्दर्भ में कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरांत श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के तहत "अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड" अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

7. उपर्युक्त विनिश्चित दण्ड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1964 दिनांक–26.03.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गई थी। तद्आलोक में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1289 दिनांक–11.08.2015 द्वारा संसूचित किया गया कि सम्यक् विचारोपरांत आयोग का अभिमत है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है, अतः आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गई।

8. इसी बीच एक अन्य मामले में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, गबन एवं प्रशासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–26/12, दिनांक–24.02.2012 धारा–420/409/467/468/471/120 (बी0) भा0द0वि0 एवं धारा–13 (2) सह–पठित धारा–13 (1) (सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 तथा उनके मंडल कारा, किशनगंज में पदस्थापन के दौरान कारा के अंदर जादू–टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव बनाने, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी प्रतिवेदित आरोपों से संबंधित मामले में संस्थित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6285 दिनांक–13.10.2015 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध "सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड" अधिरोपित किया गया था।

9. इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी, श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में दण्ड के संसूचन के पूर्व हीं उन्हें दूसरे मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् दण्ड अधिरोपित की जायेगी अथवा नहीं, के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की माँग की गई। तद्आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्श दिया गया कि–*"विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक के विरूद्ध चलायी जाती है। चूँकि बर्खास्त कर्मी सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है, परन्तु बर्खास्त कर्मी की बर्खास्तगी आदेश को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनके विरूद्ध लगाये गये अन्य आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखना ही उचित होगा"।*

10. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1020 दिनांक–16.02.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5805 दिनांक–29.12.2010 के द्वारा संस्थित उक्त विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा गया।

11. इसी बीच श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध दूसरे मामले में अधिरोपित "सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड" के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा दायर L.P.A. No.-1302/2017 (In C.W.J.C. No-934/2016) देवेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–19.10.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक

प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–587 दिनांक–22.01.2024 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित ''सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड'' को निरस्त कर दिया गया।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध स्थगित उक्त विभागीय कार्यवाही की पुनर्समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त स्थगित विभागीय कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। श्री प्रसाद के विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय कार्यवाही में सभी प्रक्रियाओं का विधिवत् पालन किया जा चुका है।

13. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5805 दिनांक–29.12.2010 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही (विभागीय आदेश ज्ञापांक–1020 दिनांक– 16.02.2016 द्वारा स्थगित) को पुनः आरंभ करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति (दिनांक–31.08.2019) के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

14. श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में उनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :–

"देय पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दण्ड पाँच (05) वर्षों के लिए"।

15. **उपर्युक्त विनिश्चित दण्ड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1824 दिनांक–28.02.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। तद्आलोक में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1105 दिनांक 26.06.2024 द्वारा उल्लिखित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के संबंध में ''अनिवार्य सेवानिवृत्ति'' के विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग के पत्रांक–1289 दिनांक–11.08.2015 द्वारा आयोग का मंतव्य पूर्व में संसूचित किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–सह–पठित ज्ञापांक 9794 दिनांक 22.07.2019 की कंडिका–7 में प्रावधान है कि '' वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहत दण्ड के मामलों में, जिनमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो, और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहत दण्ड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा''।**

उक्त प्रावधान के आलोक में कि विभागीय दंड प्रस्ताव पर आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं रहने की स्थिति में विभागीय प्रस्ताव को बिना आयोग के परामर्श के वापस कर दिया गया।

16. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधान के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"देय पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दण्ड पाँच (05) वर्षों के लिए"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in